दि० 12/11/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

12/11/25 पत्रावली पेश। वकील परिवादी उप०। प्रार्थना पत्र
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विपक्ष
निर्णय [illegible] से लिखा जाकर पत्रावली
शामिल मिसल किया गया। पत्रावली [illegible]
के नम्बर से [illegible] पत्रावली [illegible] दफ्तर
में शामिल हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
103 / 24	29.10.2024	12.11.2025

बउनवान

1. गुलाब पुत्र बंशीराम जाति अहीर निवासी टेहडकी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी वकील :– श्री सरजीत यादव

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल ख०नम्बरान 13 रकबा 0.41 है०, 9 रकबा 0.35 हैक्०, वाके ग्राम ढेलावास तह० मुण्डावर में स्थित है। जिसमें मिन वादी का 1/16 हिस्सा कब्जेकाश्त एव खातेदारी की आराजी है।
2. यह है कि उपरोक्त आराजीयत मिन प्रार्थी की पैत्रिक आराजी रही है, जो आराजी मिन प्रार्थी को अपने पिता बंशीराम से जरियें विरास्त प्राप्त हुयी है, जिस पर मिन प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।
3. यह है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिन प्रार्थी के नाम जमाबन्दी स0 2039 में मिन प्रार्थी का नाम गुलाबसिंह पुत्र बंशीराम है, जो नाम सही है लेकिन वादी का नाम गुलाब के स्थान पर मानीया पुत्र बंशीराम जमाबन्दी स0 2044 में दर्ज कर दिया जो गलत अंकन राजस्व रिर्कोड में दर्ज चला आ रहा है, इसलिए उक्त गलत अंकन काबिले दूरूस्ती है, जिसे दूरूस्त किया जावे, ।
4. यह है कि मिन वादी का नाम गुलाब पुत्र बंशीराम है जो नाम सही है तथा मिन वादी के समस्त दस्तावेजात में भी मिन वादी का नाम गुलाब पुत्र बंशीराम ही दर्ज है. जैसे राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड वगै० उपरोक्त नाम ही दर्ज है जबकी राजस्व रिकोर्ड में

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व कर्मचारियो की गलती से मिन वादी का नाम मानीया पुत्र बंशीराम दर्ज कर दिया गया है जबकी मिन वादी के परिवार में इस नाम का मिन वादी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति जीवित या मृत्य नही है। इसलिए उक्त गलत इन्द्राज के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रहने से मिन वादी को काफी परेशानी हो रही है तथा मिन वादी को अपनी आराजी का समूचित तरीके से उपयोग उपभोग करने में बाधा आ रही है। जिसे दुरुस्ती किया जाना कानून आवश्यक व न्यायसंगत है।

5. यह है कि उक्त गलत इन्द्राज की मिन वादी को कतई जानकारी नही थी, परन्तु जब मिन वादी को आवश्यकता हुई तो राजस्व रिकोर्ड की नकल प्राप्त करने के लिये पटवारी हल्का से दिनांक 20/10/2024 को सर्म्पक किया तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। जिस पर मिन वादी ने राजस्व रिकोर्ड की नकल प्राप्त कर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर से राजस्व रिकोर्ड दूरुस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर ने राजस्व रिकोर्ड दूरूस्त करने से मना कर दिया और कहा कि सक्षम अदालत से दूरूस्त करवाओ ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि अतः वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाई

(अ) यह है डिकी दूरुस्ती इस अमर की जाकर आराजी हाल ख०नम्बरान 13 रकबा 0.41 हैक0, 9 रकबा 0.35 हैक० का 1/16 भाग वाके ग्राम ढेलावास तह० मुण्डावर के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज मिन वादी का नाम मानीया पुत्र बंशीराम को हजफ कर, उसके स्थान पर गुलाब पुत्र बंशीराम दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाकर राजस्व रिकोर्ड दूरूस्त फरमाया जाने की कृपा करे। महति कृपा होगी।

(ब) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करावाई गई, अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया।

1. वाके ग्राम ढेलावास के वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नंबर 13 रकबा 0.41 है0 (साबिक खसरा नंबर 10 रकबा 0.41 है0), खसरा नंबर 9 रकबा 0.35 है0 (साबिक खसरा नंबर 9 रकबा 0.35 है0) में मानिया पुत्र बंशी हिस्सा 1/16 जाति अहीर दर्ज रिकॉर्ड है।
2. प्रार्थी का नाम जमाबन्दी संवत 2039 में उक्त खसरान में गुलाब पुत्र बंशी दर्ज था जो जमाबन्दी संवत 2044 में मानिया पुत्र बंशी जाति अहीर दर्ज कर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

3. प्रार्थी अपना नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गुलाब पुत्र बंशी दर्ज करवाना चाहता है। पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थी का नाम गुलाब पुत्र बंशी था अतः श्रीमान जी प्रार्थी का नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मानिया पुत्र वंशी के स्थान पर गुलाब पुत्र वंशी करने की अनुशंषा की जाती है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में हाल जमाबन्दी सम्वत 2071–74, नकल जमाबन्दी सम्वत 2039, नकल जमाबन्दी सम्वत 2044 की प्रति पेश की।

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि यह वाद केवल नाम दुरुस्ती से संबंधित है। प्रार्थी का नाम जमाबन्दी संवत 2039 में सही रूप से "गुलाब पुत्र बंशीराम" दर्ज था, जो बाद की जमाबन्दी संवत 2044 में गलती से "मानिया पुत्र बंशीराम" चढ़ गया। प्रार्थी के सभी पहचान दस्तावेज—आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह आदि–में उसका सही नाम गुलाब पुत्र बंशीराम ही दर्ज है। परिवार में 'मानिया' नाम का कोई व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है। अतः यह त्रुटि राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई clerical mistake है। गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को अपनी भूमि का उपयोग करने में कठिनाई आ रही है। त्रुटि का पता 20.10.2024 को चला, जिसके बाद प्रार्थी ने तत्काल दुरुस्ती हेतु आवेदन दिया, पर तहसीलदार ने सक्षम न्यायालय से दुरुस्ती करवाने को कहा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि खसरा नंबर 13 एवं 9 में दर्ज गलत नाम "मानिया पुत्र बंशीराम" को हटाकर, सही नाम "गुलाब पुत्र बंशीराम" दर्ज करने का आदेश पारित किया जाए।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन, प्रार्थी वकील की बहस पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि प्रकरण वाद संख्या 103/24, धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नाम दुरुस्ती से संबंधित है। वादी ने निवेदन किया कि खसरा नंबर 13 रकबा 0.41 है० तथा खसरा नंबर 9 रकबा 0.35 है०, वाके ग्राम ढेलावास में उसका 1/16 हिस्सा पैत्रिक रूप से प्राप्त खातेदारी भूमि है। जमाबन्दी सन् 2039 में वादी का नाम गुलाब पुत्र बंशीराम सही रूप से दर्ज था, परंतु जमाबन्दी सन् 2044 में गलत अंकन के कारण मानिया पुत्र बंशीराम दर्ज कर दिया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं अन्य पहचान दस्तावेजों में उसका नाम गुलाब पुत्र बंशीराम ही पाया गया। वादी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके परिवार में 'मानिया' नामक कोई व्यक्ति न जीवित है और न रहा है। गलत इन्द्राज के कारण वादी को भूमि संबंधी कार्यों में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अप्रार्थी (तहसीलदार) द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह तथ्य स्वीकार किया गया कि जमाबन्दी सन् 2039 में वादी का नाम गुलाब पुत्र बंशीराम दर्ज था तथा वर्तमान रिकॉर्ड में मानिया पुत्र बंशीराम दर्ज हो जाना राजस्व रिकॉर्ड की

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

त्रुटि है। साथ ही यह भी अनुशंसा की गई कि वादी का सही नाम पुनः रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों के कथनों, प्रस्तुत दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड एवं परिस्थितियों से यह सिद्ध होता है कि वादी का नाम मानिया पुत्र बंशीराम दर्ज होना मात्र clerical/typing error है। नाम परिवर्तन हेतु कोई मृत्यु, वारिसान, बंटवारा, या लेन–देन के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। अतः उक्त त्रुटि दुरुस्ती योग्य है।

अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि खसरा संख्या 13 एवं 9 में दर्ज नाम मानिया पुत्र बंशीराम गलत है एवं इसे हटाकर सही नाम गुलाब पुत्र बंशीराम दर्ज किया जाना विधि, न्याय और रिकॉर्ड की शुद्धता के अनुरूप है।

आदेश

अतः आदेशित किया जाता है कि खसरा नंबर 13 रकबा 0.41 है० एवं खसरा नंबर 9 रकबा 0.35 है०, वाके ग्राम ढेलावास, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा के राजस्व अभिलेखों में दर्ज गलत नाम "मानिया पुत्र बंशीराम" को हजफं (Delete) कर, उसके स्थान पर सही नाम "गुलाब पुत्र बंशीराम" दर्ज किया जाए। संबंधित राजस्व अधिकारी आवश्यक प्रविष्टि एवं दुरुस्ती तत्काल प्रभाव से राजस्व अभिलेखों में सुनिश्चित करें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner